कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी
Email:- qcdivdehri@gmail.com.in.

भाडे पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0– 01/2025–26

पत्रांकः–......84......डिहरी, दिनांकः–28.03.2026....../

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा नमुना संग्रहण हेतु भाडे पर (01) एक अद्द वाहन बोलरो (AC) (चालक सहित, ईधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/ फर्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 स0	कार्यान्वित अवधि	अद्द	वाहन का प्रकार	अभ्यिुक्ति
1.	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01 अद्द	बोलेरो (AC)	4 अवर प्रमण्डल पर एक गाड़ी सहायक अभियंता द्वारा उपयोग किया जायेगा।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 28.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की तिथि एवं समय :– 10.04.2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– 10.04.2026 के अपराह्न 03.30 बजें
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी।
6. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तेः– :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

28.03.2026

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमण्डल, डिहरी।

28/3/26

शर्तें निम्नवत् हैः

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निदेशानुसार अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नही होना चाहिए।अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। साथ ही वाहन का व्यवसायिक निवंधन अनिवार्य है।
3. चालक के पास वैद्य ड्राइंविग लाईसेन्स होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता को वाहन का कागजात, टैक्स बीमा आदि मोटनयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड़ टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेश प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
5. वाहन का रख–रखाव,साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशाा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहनमालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
6. नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0एस0टी0 आदि अन्य करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं वहन करना होगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं होगा।
7. एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा।
8. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यालय द्वारा बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
9. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0/लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
10. नियमानुसार आवश्यक सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भाडा एवं ईधन व्यय का भुगतान गाडी मालिक को किया जाएगा तथा इसके पूर्व एवं अतिरिक्त गाडी मालिक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
11. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण का कार्य की जवाबदेही वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता की होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेगे एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जायेगा
12. वाहन उपयोग/परिचालन हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा । वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो एक दिन का भाडे का भुगतान दोगुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।
13 वाहन का उपयोग वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता द्वारा निजी अथवा अन्य व्यवसायी उपयोग में नही किया जायेगा
14.आवश्यकता अनुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहॉ रह भी सकता हैं जिसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नही होगा
15. वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता चयन के पश्चात उन्हे वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा पत्र निर्गत के एक पक्ष के अंदर एकरारनामा कराना एवं वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा यह चयन स्वतः अमान्य हो जायेगा उक्त हेतु किसी प्रकार का अलग से आदेश निर्गत नही किया जायेगा।
16. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म सभी शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना लेटर पैड पर एवं क्रम सं0 3 एवं 4 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेगें,अन्यथा कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
17. वर्तमान में 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रूपया–1000=00 की स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा
18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक /वाहन आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा।
19. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रमण्डलीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

EO/-
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी।

पत्रांकः– डिहरी/दिनांकः–
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता,केन्द्रीय रूपांकण ,शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग,पटना/अधीक्षण अभियंता,गुण नियंत्रण(सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

EO/-
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी।

पत्रांकः– 84 डिहरी/दिनांकः– 28.03.2026
प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग,, पटना को विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेत समर्पित /NIC जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,रोहतास,सासाराम को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु समर्पित।

28.03.2026
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल,डिहरी।

28/3/26